JALAUN POLICE

दिनांक- 11.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम- अभियुक्त शिव कुमार उर्फ सुक्खू पुत्र जगमोहन नि0 ग्राम लोहार कोतवाली कालपी जनपद जालौन द्वारा वादी हल्के यादव पुत्र मुन्ना यादव नि0 ग्राम परासन थाना आटा जनपद जालौन के पुत्र से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना व मना करने पर जान से मारने की नियत से फायर करना, जिससे वादी का पुत्र गम्भीर से घायल हो जाना के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 10.06.2020 को कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 49/20(वाद संख्या 49ए/21) धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था। कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा अभियुक्त को दिनांक 10.06.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 07.08.2020 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 10.03.2026 को मा0 न्यायालय एडीजीसी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सुखवीर उर्फ सुक्खू को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।